

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर
क्रमांक एफ 11(39बी)एफसीए/मुवसअ/2017/

2224 दिनांक 10-4-18

निमित्त:-

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान-जयपुर।

विषय:- आर.आर.एस.एम.पी.योजनान्तर्गत पी.डब्ल्यू.डी.शाहपुरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव
बिजौलिया खुर्द से छतरीखेडा वाया मानगढ अन्तर्गत 4.10 है० वनभूमि
प्रत्यावर्तन प्रकरण।

संदर्भ:- आपका EDS दिनांक 16.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि उप वन संरक्षक, भीलवाडा ने अपने पत्रांक 5630
दिनांक 10.4.2018 द्वारा आपके EDS दिनांक 16.02.2018 द्वारा लगाये गये आक्षेपो की पूर्ती कर इस
कार्यालय को भिजवाया गया है। कार्यालय द्वारा पार्ट III की मूल प्रति मय कार्यालय मोहर के साथ
संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पी.के.उपाध्याय)
मुख्य वन संरक्षक
अजमेर।

क्रमांक सम/

2225

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, भीलवाडा को उनके पत्रांक 5630 दिनांक 10.4.2018 के क्रम
सूचनार्थ प्रेषित है।

(पी.के.उपाध्याय)
मुख्य वन संरक्षक
अजमेर।